न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।
उपस्थितः– श्री ज्योति कुमार त्रिपाठी (एच.जे.एस.)
UP05622

सत्र परीक्षण संख्या– 35 / 2022

राज्य प्रति राजीव सिंह आदि

आरोप

मैं ज्योति कुमार त्रिपाठी, सत्र न्यायाधीश, चन्दौली,

आप अभियुक्तगणः–

1. राजीव सिंह पुत्र अरूण कुमार सिंह 2. सुरेश कुमार यादव पुत्र राधेश्याम यादव 3. अभिषेक उर्फ सत्यम पटेल पुत्र सिकन्दर पटेल 4. प्रतीक त्रिपाठी पुत्र सतीश त्रिपाठी 5. रबि ठाकुर पुत्र प्रभु ठाकुर 6. आकाश सिंह उर्फ सरदार पुत्र रामबिलाश 7. मनीष सिंह पुत्र शिवआसरे सिंह उर्फ पप्पू सिंह 8. अभिषेक सिंह पुत्र रामबिलाश सिंह 9. रामबिलाश सिंह पुत्र स्व. रामाधार सिंह 10. विवेक राय पुत्र अरूण राय

पर निम्न आरोप लगाता हूंः–

प्रथम– यह कि दिनांक 31–05–2021 को रात्रि 7.30 बजे ग्राम लक्ष्मणगढ़–रईया के बीच स्थित ग्राम फूलपुर थाना बलुआ जिला चन्दौली से आप लोगों ने फिरौती की मांग पूरी करने के लिये वादी के पुत्र अमरेश्वर दास का व्यपहरण किया तथा फिरौती की मांग पूरी करने के लिये उसे व उसके परिजनों को अपहृत की हत्या करने की धमकी दिया। इस प्रकार आपने धारा 364ए भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त आरोप के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांकः–04–04–2022.

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

आरोप पढ़कर अभियुक्तगण को सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण का दावा किया ।

दिनांकः–04–04–2022.

(ज्योति कुमार त्रिपाठी)
सत्र न्यायाधीश,
चन्दौली।

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली।

सत्र परीक्षण संख्या– 35/2022

राज्य प्रति राजीव सिंह आदि

04–04–2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण राजीव सिंह, सुरेश कुमार यादव, अभिषेक उर्फ सत्यम पटेल, प्रतीक त्रिपाठी, रबि ठाकुर , आकाश सिंह उर्फ सरदार, मनीष सिंह, अभिषेक सिंह, रामबिलाश सिंह व विवेक राय जेरे जमानत उपस्थित हैं। आरोप के बिन्दु पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया। अभियोजन ने उन साक्ष्यों का उल्लेख किया जो अभियुक्तगण के विरूद्ध सिद्ध किये जाने हैं। उक्त के आधार पर अभियुक्तगण पर धारा 364ए भा.दं.सं. का आरोप लगाये जाने के संदर्भ में पत्रावली में पर्याप्त सामग्री मौजूद है। तद्नुसार अभियुक्तगण पर आरोप लगाये जाने का आदेश दिया जाता है।

सेशन जज,
चन्दौली।

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण राजीव सिंह, सुरेश कुमार यादव, अभिषेक उर्फ सत्यम पटेल, प्रतीक त्रिपाठी, रबि ठाकुर, आकाश सिंह उर्फ सरदार, मनीष सिंह, अभिषेक सिंह, रामबिलाश सिंह व विवेक राय पर धारा 364ए भा.दं.सं. का आरोप लगाया गया जिसे उन्होने अस्वीकार किया तथा परीक्षण की इच्छा ब्यक्त की।

आरोप–पत्र के साक्षीगण तलब किये जाएं। साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक 25–04–2022 को प्रस्तुत हो।

सेशन जज,
चन्दौली।